

इसे वेबसाईट www.govtppressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 370]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 सितम्बर 2016—भाद्र 16, शक 1938

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. एफ. 2-8-2016-बयालीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उपनियम (1) में खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा.”

No. F-2-8-2016-XLII-2.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Industrial Training (Non-Gazetted) Class III Service Recruitment Rules, 2009, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 6, in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

“(a) By Competitive examination.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. एफ. 2-8-2016-बयालीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उपनियम (1) में खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा.”

No. F-2-8-2016-XLII-2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Industrial Training (Class IV) Service Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 6, in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

“(a) By direct recruitment through Competitive examination.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार, अपर सचिव.